

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाबता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
कीवानी अधिकारी ~ स्वाति गुप्ता
राजस्व वाद संख्या :- 118/2021

1. खूबराम पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. शिव प्रकाश जान्दू पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. धर्मवीर पुत्र श्री शुभकरण पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. मुकेश जान्दू पुत्र श्री शुभकरण पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. शुभकरण पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र श्री हेमाराम जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. प्रमुराम पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 20.08.2024

वादी की ओर से श्री अंकित सिडाना अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री विक्रम यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.08.2024 को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि (क). चक नम्बर 1 बी. आर. डब्ल्यू. जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 149/130 की कुल तादादी 0.810 हैक्टर में से भगवानाराम के हिस्सा की 1/2 हिस्सा अर्थात् 0.405 हैक्टर कृषि भूमि में वादी शिवप्रकाश जान्दू के नाम 0.125 हैक्टर, वादी संख्या 5 के नाम 0.027 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रमुराम 0.253 हैक्टर।


(ख) चक नम्बर 3 टी.एल.डब्ल्यू, जमावदी सम्वत् 2075 ता 78 खण्ड संख्या 5/3 की कुल तादादी 3.999 हेक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्जे 321/10003 अर्थात् 0.981 हेक्टर कृषि भूमि में वादी संख्या 1 खूबराम के नाम 0.094 हेक्टर, वादी संख्या 2 शिव प्रकाश जान्यू के नाम 0.102 हेक्टर, वादी संख्या 3 व 4 धर्मवीर, मुकेश जान्यू के नाम 0.280 हेक्टर कोशिश040 व वादी संख्या 5 के नाम 0.119 हेक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 को 0.426 हेक्टर।

(ग) चक नम्बर 5 टी.एल.डब्ल्यू, जमावदी सम्वत् 2075 ता 78 खण्ड संख्या 155/188 की कुल तादादी 2.783 हेक्टर में से भगवानाराम के नाम दर्जे 1/2 हिरसा अर्थात् 1.392 हेक्टर कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 खूबराम के नाम 0.625 हेक्टर, वादी संख्या 2 शिव प्रकाश जान्यू के नाम 0.514 हेक्टर व वादी संख्या 3 व 4 धर्मवीर, मुकेश जान्यू के नाम 0.253 हेक्टर कोशिश040।

आराजी के खातेदार काशतकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 3 टी.एल. डब्ल्यू, खाता संख्या 5/3 एवं चक नम्बर 5 टी.एल.डब्ल्यू, खाता संख्या 155/188 में से प्रतिवादी भगवानाराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त दर्जित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 20-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
त पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
र्जा के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
ये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
थियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
शनर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
शिका की तामिल	---	योग	---